

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
 क्रमांक:- शिविरा/माध्य/क्रमसंख्या/प्रभी-२/क्रति: जालिया/२२-उत्तम/दिनांक: ०१.०७.२२
 : परिपत्र : : २०२०/वा०-॥

राजस्थान सेवा नियम प्रथम खण्ड के नियम ७ (11) के अनुसार विभागाध्यक्ष वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमों के प्रयोजनार्थ राजस्थान सेवा नियम भाग -ा के परिशिष्ट XIV में शामिल किया गया है। राजस्थान सेवा नियम भाग -ा के परिशिष्ट XIV की सूची A में [List of Heads of Departments (Class I)] क्रम सं० ३८ पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, एवं क्रम सं० ३९ पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, विभागाध्यक्ष घोषित है। सूची B में [List of Heads of Departments (Other than Class I)] क्रम सं० ५२ पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं क्रम सं० ५३ पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर विभागाध्यक्ष घोषित है। राजस्थान सेवा नियम खण्ड-ा के परिशिष्ट IX के आईटम संख्या (Serial No.):- २२ के अनुसार अवकाश के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त हैं, जिसकी सुलभ संदर्भ प्रति संलग्न है।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड-ा के परिशिष्ट IX के आईटम संख्या २२ (ग) व (घ) में अंकित कर्मचारियों के लिये अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य समस्त प्रकार के १२० दिवस से अधिक (मातृत्व अवकाश के अलावा) अवकाश प्रकरणों को स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर और अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को परिशिष्ट IX में शक्तियां प्रदत्त हैं।

उक्तानुसार तालिका में उल्लेखित आईटम संख्या २२ में उल्लेखित शक्तियों की पालना में १२० दिवस से अधिक के अवकाश प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में अतिरिक्त निदेशक (प्रा.शि.) तथा मांशि कार्मिकों के मामलों में अतिरिक्त निदेशक (मा.शि.) स्वीकृत कर सकेंगे।

उक्त परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(गौरव अग्रवाल)
 आई.ए.एस

निदेशक
 प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
 राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- जिसने रूदनार्थ एवं आदेशक कार्ययाही हेतु :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान-जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
4. वितीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा।
5. मुख्यलेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषेत्र/समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक मुख्यालय।

✓ १०.७.२०२०
 (अरुण कुमार शर्मा)
 स्टॉफ ऑफिसर
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर